18. योजना के प्रति अनुकूलता की दृष्टि से विभाग समन्वयक की टिप्पणी :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

विभाग समन्वयक

टीप :- 1. प्रत्येक प्रतिकूल अभ्युक्ति की लिखित सूचना प्रादेशिक सचिव द्वारा प्रधानाचार्य/प्राचार्य को दी जावेगी। प्रधानाचार्य / प्राचार्य अप लिखित प्रतिवाद दे सकेगा। इसके उत्तर से संतुष्ट होने पर व्यवस्थापक द्वारा प्रतिकूल अभ्युक्ति हटा दी जावेगी। प्रतिवाद देने के एव भीतर उत्तर नहीं मिलने का अर्थ यह होगा कि प्रतिकूल अभ्युक्ति यथावत् रखी गई है। प्रधानाचार्य, प्राचार्य के प्रकरण में प्रतिकूल अभ अंतिम निर्णय परिषद का होगा।

2. गोपनीय चरित्रावली एवं इस बावत् हुआ समस्त पत्र व्यवहार प्रधानाचार्य / प्राचार्य की व्यक्तिगत नस्ती में रखा जावेगा। गोपनीय चा की पूर्ति प्रत्येक सत्रांत में 15 मई तक कर ली जावे।

3. प्रधानाचार्य / प्राचार्य का गोपनीय प्रतिवेदन विभाग समन्वयक के माध्यम से परिषद को भेजा जावे।

सचिव, सरस्वती शिक्षा परिषद, मध